न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

पुनरीक्षण कमांक–........../15

निगरानी 2141-II-15

सरस्वती प्रसाद त्रिपाठी तनय सत्यनारायण त्रिपाठी, निवासी ग्राम पुरवा, थाना व तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

———आवेदक

बनाम

1– म0प्र0 राज्य

2– हीरालाल गुप्ता तनय महावीर गुप्ता, निवासी ग्राम पुरवा, थाना व तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

————अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार तहसील सेमरिया, वृत्त शाहपुर, जिला रीवा दिनांक 23/03/12 एवं आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील सेमरिया, दिनांक 15/04/15 को प्रकरण क0–13–अ–19/अपील/2014–15 में पारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

1– अधीनस्थ न्यायालयों के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23/05/12 एवं 15/04/15 सर्वथा विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-2141/दो/2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सरस्वती/हीरालाल	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-1-16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्को में बताया गया कि आवेदक हीरालाल द्वारा दिनांक 17.2.12 को व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.3.12 को पटवारी रिपोर्ट मंगाए जाने हेतु आदेश किया गया। अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन हेतु आदेश दिए जाने से पहले स्थल पंचनामा दिनांक 05.03.2012 एवं पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 10.3.12 को तैयार हो गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताय गया कि भूमि सर्वे कमांक 951/1 में गैरनिगराकार 2 हीरालाल का कोई मकान आदि नहीं बना है। इस प्रकार उपरोक्त सर्वे कमांक 951/1 की भूमि रोड किनारे की होने से बेशकीमती है जिसका उपरोक्तानुसार पूर्ववर्ती तारीखें में फर्जी कार्यवाही कर जमीन हड़पने के षडयंत्र में सक्षम अधिकारियों द्वारा सहयोग किया गया है। यह भी बताया गया कि जब बासस्थान दखलकार अधिनियम संशोधित प्रावधान दिनांक 30.4.12 का प्रकाशित हुआ है तब दिनांक 17.2.12 को नायब तहसीलदार द्वारा प्रावधान के लागू होने से पहले की तारीख में दिनांक 17.2.12 को आवेदन प्राप्त कर दिनांक 14.3.12 की तारीख में उपरोक्त वर्णित प्रावधान के तहत किन परिस्थितियों में प्रतिवेदन प्राप्त करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा की गयी कार्यवाही नियमों के विपरीत होकर दूषित है जो निरस्त किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर	

विचार किया जावेगा।

प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में तथा निगरानी मेमों के बिन्दु कमांक 2, 3, 4, 5 में अंकित तथ्यों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेशों एवं अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि गैरनिगराकार क 2 के द्वारा दिनांक 17.2.12 को व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो नायब तहसीलदार द्वारा उसी दिनांक को प्रवाचक को मार्क किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से दिनांक 14.3.12 को पटवारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये तथा पटवारी द्वारा स्थल पंचनामा दिनांक 05.03.2012 एवं पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 10.3.12 को तैयार किया जाना पाया गया, नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.3.12 को रिकार्ड पर लेकर प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.6.12 को पटवारी रिपोर्ट के आधार पर भूमि सर्वे कमांक 951/1 के अंश रकवा 0.03 यानी 75 गुणा 36 वर्गफुट पर व्यवस्थापन गैरनिगराकार के नाम करने का आदेश जारी किया गया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 23.6.12 के विरूद्ध अपील निगराकार द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो कलेक्टर के प्रकरण कमांक 53/अ-66/12-13 में पारित आदेश दिनांक 18.7.14 से यह अंकित करते हुए कि "दखल रहित विशेष उपबंध के अंतर्गत तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी के समक्ष किए जाने का प्रावधान है ऐसी स्थिति में अपील प्रचलनशील न होने से निरस्त की गयी। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के अवलोकन से यह भी ज्ञात हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 52/अ-19/12-13 में पारित आदेश दिनांक 18.1.2013 से अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने तथा अधिवक्ता पत्र में अपीलार्थी एवं अभिभाषक के हस्ताक्षर न होने के कारण निरस्त की गयी थी।

अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 18.7.14 के बाद जब निगराकार द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी तो उनके द्वारा अपने प्रकरण कमांक 13/अ-19/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनाक

15.4.15 से मात्र यह कहते हुए कि अपीलार्थी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.6.12 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रकरण कमांक 52/अ–19/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 18.01.13 से पहले ही निराकृत की जा चुकी है। इस कारण अपील प्रकरण कमांक 13/अ–19/14–15 औचित्यहीन होने से निरस्त कर दी गयी।

प्रकरण में विद्यमान विवाद एवं तथ्यों के संबंध में उठाए गये बिन्दुओं एवं आक्षेपित तथ्यों पर विश्लेषण न करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तकनीकी आधार पर अपील निरस्त की गयी हैं जो उचित नहीं हैं। अतः प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे निगराकार द्वारा उठाए गये तथ्यों के संबंध में एवं प्रकरण में अन्य जो विद्यमान कानूनी तथ्य प्रकट हों उनके संबंध में विधि सम्मत विश्लेषण करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के प्रकाश में उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए बोलता हुआ एवं सहज न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप आदेश 4 माह में पारित करें। नवीन आदेश पारित होने तक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 23.3.12 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15.4.15 प्रभावहीन रहेगे। नवीन आदेश पारित होने पर उक्त दोनों आक्षेपित आदेश स्वतः निरस्त माने जावेगे। निगराकार एवं गैरनिगराकार को भी आदेशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आदेश की संसूचना के एक माह के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए न्यायालीयन कार्यवाही में सहयोग करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि. हो।

6.1.16
सदस्य